



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 30 दिसम्बर, 2024

पौष 9, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2711/वि०स०/संसदीय/104(सं)-2024

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(क) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2024 कहा जायेगा। प्रारंभ

(ख) इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9 में, उपधारा (1) में, शब्द “मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान” के पश्चात्, शब्द “और मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली गैर-विकृत अतिरिक्त तटस्थ मद्यसार या परिशोधित स्पिरिट” बढ़ा दिए जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (5) में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिए जाएंगे।

नयी धारा 11क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

साधारण चलन के “11क—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि परिणामस्वरूप न सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—
लगाए गए या कम
लगाए गए माल
और सेवा कर की
वसूली न करने की
शक्ति

(क) माल और सेवाओं या दोनों की किसी भी पूर्ति पर राज्य कर उद्ग्रहण के संबंध में (जिसमें उसका उद्ग्रहण न किया जाना सम्मिलित है), एक चलन साधारणतया प्रचलित थी या है; और

(ख) ऐसी पूर्तियाँ दायी थीं, या हैं, —

(i) राज्यकर, ऐसे मामलों में जहाँ उक्त चलन के अनुसार राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था, या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, या

(ii) उससे कहीं अधिक राज्य कर की धनराशि, जो उक्त चलन के अनुसार उद्ग्रहीत की गयी थी या की जा रही है,

सरकार परिषद की सिफारिश पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि, ऐसी पूर्तियों पर देय संपूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर देय अतिरिक्त राज्य कर, जैसा भी मामला हो, लेकिन उक्त चलन हेतु ही, उन पूर्तियों के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जिन पर उक्त चलन के अनुसार राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, या कम उद्ग्रहीत किया गया था या उद्ग्रहीत किया जा रहा है।”

धारा 13 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ख) में, शब्द “पूर्तिकर्ता द्वारा” के स्थान पर, शब्द “पूर्तिकर्ता द्वारा, ऐसे मामलों में जहाँ पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है या” रख दिया जायेगा।

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(ग) ऐसे मामलों में जहाँ प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है, प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख:”;

(iii) प्रथम परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “या खंड (ख)” के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अक्षर “या खंड (ग)” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई 2017 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:—

(5) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19, 2019—20 एवं 2020—21 से संबंधित, माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अधीन नवंबर, 2021 के तीसवें दिन तक दाखिल किसी भी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रद्द हो गया है और उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण किसी भी आदेश, या तो धारा 30 के अधीन या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी भी आदेश के अनुसार किया गया है और जहाँ किसी बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, इनपुट

कर प्रत्यय की प्राप्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख को उपधारा (4) के अधीन प्रतिबंधित नहीं थी, उक्त व्यक्ति माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, धारा 39 के अधीन विवरणी में, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो -

(i) उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) संबंधित है, के बाद नवंबर के तीसवें दिन तक या सुसंगत वार्षिक विवरणी जो भी पहले हो, दाखिल किया गया है; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तिथि, जैसा भी मामला हो, से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है, जो भी पश्चातवर्ती हो।

7-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (5) में, खंड (झ) में, शब्द और अंक "धारा 74, 129 और 130" के स्थान पर शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी भी अवधि के संबंध में धारा 74" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 21 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- धारा 30 का संशोधन

"परन्तु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा, जैसा कि विहित किया जाय।"

10-मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

(क) उपधारा (3) में, खंड (च) में, शब्द "माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में", के पश्चात् शब्द "ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय", बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण- खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, पद "ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" के अंतर्गत वह पूर्तिकार सम्मिलित होगा जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकृत है। धारा 31 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 35 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:- धारा 39 का संशोधन

"(3) धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए उस मास के दौरान की गई कटौतियों की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप में और रीति में, तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए:

परन्तु यह कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त माह के दौरान कोई कटौती की गई हो या नहीं।"

13-मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (8) में, खंड (ग) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 49 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 50 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 51 का संशोधन

धारा 54 का संशोधन	16—मूल अधिनियम की धारा 54 में,— (क) उपधारा (3) में, दूसरे परन्तुक को निकाल दिया जायेगा ; (ख) उपधारा (14) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— “(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शून्य दर पूर्ति के मालों के सम्बन्ध में उपयोग न किये गए इनपुट कर प्रत्यय या शून्य दर पूर्तिवाले मालों पर अदा किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां ऐसे शून्य दर पूर्तिवाले माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है।”
धारा 61 का संशोधन	17—मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (3) में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिये जायेंगे।
धारा 62 का संशोधन	18—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिये जायेंगे।
धारा 63 का संशोधन	19—मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिये जायेंगे।
धारा 64 का संशोधन	20—मूल अधिनियम की धारा 64 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिये जायेंगे।
धारा 65 का संशोधन	21—मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (7) में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिये जायेंगे।
धारा 66 का संशोधन	22—मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिये जायेंगे।
धारा 70 का संशोधन	23—मूल अधिनियम की धारा 70 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— “(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किये गए सभी व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे, उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षण के दौरान सत्य बताएगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करेगा, जो अपेक्षित हैं।”
धारा 73 का संशोधन	24—मूल अधिनियम की धारा 73 में, — (i) सीमांत शीर्षक में, शब्द “कर का अवधारण” के पूर्व, शब्द और अंक “वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित” बढ़ा दिये जायेंगे; (ii) उपधारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— “(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए लागू होंगे।”
धारा 74 का संशोधन	25—मूल अधिनियम की धारा 74 में, — (i) सीमांत शीर्षक में, शब्द “कर का अवधारण” के पूर्व, शब्द और अंक, “वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित,” बढ़ा दिये जायेंगे; (ii) उपधारा 11 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— “(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए लागू होंगे।” (iii) स्पष्टीकरण 2 को निकाल दिया जायेगा।
नयी धारा 74क का बढ़ाया जाना	26—मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— “74क—(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, तो वह कर जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, के साथ कर से प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप शास्ति का संदाय करे : वित्तीय वर्ष 2024—25 से तथा आगे किसी भी कारण से असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण

परंतु यह कि यदि वह कर जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, एक वित्तीय वर्ष में एक हजार रुपये से कम है, तो सूचना जारी नहीं की जाएगी।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है, तो समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझा जाएगा कि उपधारा (1) से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए, लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(5) उस मामले में जहाँ किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, शास्ति -

(i) ऐसे व्यक्ति से देय कर का दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न कोई अन्य कारण है;

(ii) ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण है।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (6) के अधीन आदेश उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर जारी करेगा:

परंतु यह कि जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी से ज्येष्ठ परंतु संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद से नीचे का न हो, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उक्त अवधि को अधिकतम छह माह के लिए आगे बढ़ा सकेगा।

(8) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,-

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चय कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त करके संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या उपधारा (3) के अधीन कोई विवरण, तामील नहीं करेगा;

(ii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

(9) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चय कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तामील नहीं करेगा;

(ii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ;

(iii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

(10) जहाँ समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन शास्ति वहाँ संदेय होगी जहाँ स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है ।

(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2024-25 से तथा आगे कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) पद "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहाँ उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है, और ऐसी कार्यवाहियों को इस धारा के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है, तो धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, पद "छिपाना" से तात्पर्य ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिसे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता होगा।

27—मूल अधिनियम की धारा 75 में, —

धारा 75 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "या धारा 74क की उपधारा (2) और (7)" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन शास्ति देय होगा।

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

"(10) न्याय निर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74 क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।";

(घ) उपधारा (11) में, शब्द और अंक "धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "या धारा 74क की उपधारा (7)" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (12) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिया जायेगा।

(च) उपधारा (13) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

28—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक "धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, "या धारा 74क की उपधारा (2) और (7)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 104 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 107 में, —

धारा 107 का संशोधन

(क) उपधारा (6) में, खंड (ख) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "बीस" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (11) में, दूसरे परन्तुक में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

30—मूल अधिनियम की धारा 112 में, —

धारा 112 का संशोधन

(क) 1 अगस्त, 2024 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (1) में, शब्द "उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से", के पश्चात् शब्द "या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) 1 अगस्त, 2024 की प्रभावी तारीख से, उपधारा (3) में, शब्द "उस तारीख को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है", के पश्चात् शब्द, "या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (6) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा", के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक "या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में आवेदन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा" बढ़ा दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (8) में, खंड (ख) में,—

(क) अंक और चिन्ह "20%" के स्थान पर अंक और चिन्ह "10%" रख दिया जाएगा;

(ख) अंक और शब्द "50 करोड़ रूपए" के स्थान पर अंक और शब्द "20 करोड़ रूपए" रख दिया जाएगा।

- धारा 122 का संशोधन 31—मूल अधिनियम की धारा 122 में, 1 अक्टूबर, 2023 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (1ख) में, शब्द “कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो” के स्थान पर शब्द और अंक “कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के एकत्रीकरण के लिए दायी है,” रख दिया जाएगा।
- धारा 127 का संशोधन 32—मूल अधिनियम की धारा 127 में, शब्द और अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 74क” बढ़ा दिये जायेंगे।
- नई धारा 128क का बढ़ाया जाना 33—मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—
- निश्चित कर अवधि के लिए, धारा 73 के अधीन सृजित मांग से संबंधित ब्याज और या शास्ति या दोनों से छूट “128क—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा कर की कोई रकम निम्न अनुसार देय है,—
- (क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया विवरण, और जहाँ धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या
- (ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश, और जहाँ धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या
- (ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहाँ धारा 113 की उपधारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जो 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि, या उसके एक भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग), में उल्लिखित सूचना या विवरण या आदेश, जैसा भी मामला हो, के अनुसार देय कर की पूरी रकम का उस तारीख या उससे पहले, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किया जा सकता है, भुगतान करता है, तो धारा 50 के तहत ब्याज और इस अधिनियम के तहत शास्ति, देय नहीं होगा और सूचना या विवरण या आदेश, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सभी कार्यवाहियों को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि विहित किया जा सकता है, पूरा हुआ समझा जाएगा :
- परंतु यह कि जहाँ धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किया गया है, और समुचित अधिकारी द्वारा धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुरूप अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में एक आदेश पारित किया गया है या पारित करना अपेक्षित है, उक्त सूचना या आदेश इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट एक सूचना या आदेश, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा:
- परंतु यह और कि उन मामलों में जहाँ खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध, धारा 107 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया है या राज्य कर के एक अधिकारी द्वारा धारा 117 की उपधारा (1) या धारा 118 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपील फाइल की गई है या जहाँ धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही शुरू की गई है, कार्यवाहियों का समापन इस शर्त के अधीन होगा कि, उक्त व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश, जैसा भी मामला हो, के अनुसार देय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का भुगतान उक्त आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर करेगा:
- परंतु यह भी कि जहाँ ऐसे ब्याज और शास्ति का पहले ही भुगतान किया जा चुका है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात त्रुटिवश प्रतिदाय के कारण व्यक्ति द्वारा देय किसी भी रकम के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जहां उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपील या रिट याचिका, अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित है, और उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तिथि को या उससे पहले उक्त व्यक्ति द्वारा वापस नहीं लिया गया है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट किसी भी रकम का भुगतान किया गया है और उक्त उपधारा के तहत कार्यवाही समाप्त मानी गई है, उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के तहत कोई अपील नहीं हो सकेगी।”

34—मूल अधिनियम की धारा 171 में,—

धारा 171 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:—

परंतु यह कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को निर्दिष्ट कर सकती है, जब से उक्त प्राधिकारी किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के परिणामतः उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में वास्तव में अनुरूप कमी हुई है या नहीं, के परीक्षण के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।

‘स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “परीक्षण के लिए अनुरोध” का अर्थ किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के परिणामतः उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में वास्तव में अनुरूप कमी हुई है या नहीं, के परीक्षण के अनुरोध हेतु आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन होगा।’;

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किये गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:—

‘स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्राधिकारी” पद में “अपील अधिकरण” सम्मिलित होगा।’।

35—मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 8 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात:—

अनुसूची III का संशोधन

“9—सह-बीमा समझौतों में बीमाकर्ता को लीड बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए लीड बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप, इस शर्त के अधीन कि बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की पूर्ण रकम पर लीड बीमाकर्ता केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर का भुगतान करता है।

10—बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी जाने वाली सेवाएँ जिसके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन काट लिया जाता है, इस शर्त के अधीन कि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को देय सकल पुनर्बीमा प्रीमियम, इसमें उक्त सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन भी शामिल है, पर केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर का भुगतान पुनर्बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है।”।

36—भुगतान किए गए सभी कर या प्रतिवर्तित किए गए इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इतना भुगतान नहीं किया गया होता, या प्रतिवर्तित नहीं किया गया होता, यदि इस संशोधन अधिनियम की धारा 6 सभी सारवान् समयों में प्रवृत्त होती।

भुगतान किये गये कर या प्रतिवर्तित किये गये इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय नहीं होना

निरसन और
व्यावृत्ति37-(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन)
अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 22 सन्
2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्था उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उदग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), अधिनियमित किया गया है।

जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 15 सन् 2024) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे दिनांक 16 अगस्त, 2024 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एक रूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्गस्त हैं-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन-पत्र, जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्नवत है-

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसे दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।

4	ऐसी दशा में जहां कर की दर संबंधी प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण पूर्व की कर अवधियों में करदाता के द्वारा या तो कोई कर नहीं जमा किया गया है या वास्तविक दर से कम दर पर कर जमा किया गया है, वहां सरकार को माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना के माध्यम से पूर्व की कर अवधियों को नियमित करने की शक्ति प्रदान की गयी है ।
30	प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से सरकार को माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित आदेशों एवं लिये गये निर्णयों के संबंध में माल और सेवा कर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल किये जाने हेतु काल बाधन सीमा की गणना किये जाने हेतु प्रारंभ तिथि निर्धारित किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है ।
33	इस प्रावधान के अधीन सरकार को धारा 128क के प्रावधानों के अनुपालन हेतु समय अवधि निर्धारित किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है ।
34	प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से सरकार को माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन मुनाफाखोरी रोधी वादों के संस्थित किये जाने हेतु अंतिम समय सीमा की गणना किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है ।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 9 (1)	(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान की पूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अन्तः राज्यीय पूर्तियों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, उदग्रहण किया जाएगा तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा ।
धारा 10 (5)	(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।
धारा 13 (3)	ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :- (क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

	<p>(ख) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्पूर्वतनी तारीख :</p> <p>परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी:</p> <p>परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा पूर्ति की दशा में, जहां सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर स्थित है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।</p>
धारा 17 (5)	(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।
धारा 21	21-जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जायेगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
धारा 30	30-(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाए, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।
	(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :
	परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा।
	(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा।
धारा 31(3)	(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदात्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;
	(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, पूर्तिकर्ता को संदाय करते समय कोई संदाय बाउचर जारी करेगा।
धारा 35 (6)	(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानों ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

धारा 39 (3)	(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, की विवरणी ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप में देगा।
धारा 49 (8)	(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात्:- (क) पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्वयं निर्धारित कर और अन्य शोध्य; (ख) चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्वयं निर्धारित कर और अन्य शोध्य; (ग) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है।
धारा 50 (1) का परन्तुक	परन्तु यह कि धारा 39 के उपबंधों के अनुसार किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज सिवाय वहां के जहाँ ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियाँ आरम्भ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।”।
धारा 51 (7)	इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।
धारा 54 (3)	उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :
	परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा—
	(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर पूर्ति; (ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी पूर्तियों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है : परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है : परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।
धारा 61 (3)	समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाइयां है या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा।

धारा 62 (1)	(1) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर सम्बन्धित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा।
धारा 63	धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा। परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा।
धारा 64 (2)	उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
धारा 65 (7)	जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।
धारा 66 (6)	जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।
धारा 73 का सीमांत शीर्षक	असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये कर या गलत तरीके से लिए गये या कपट से मिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाये गये कर का अवधारण।
धारा 74 का सीमांत शीर्षक	असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाए गए कर का अवधारण।
धारा 74 स्पष्टीकरण 2	इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'छिपाना' पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा।

<p>धारा 75 (1), (10), (11), (12) एवं (13)</p>	<p>(1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती हैं तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा।</p>
	<p>(10) न्याय निर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>(11) कोई विवाद, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण सा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई है।</p> <p>(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन बसूली की जाएगी।</p> <p>(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।</p>
<p>धारा 104 (1) का स्पष्टीकरण</p>	<p>धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।</p>
<p>धारा 107(6) एवं (11)</p>	<p>(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने—</p> <p>(क) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और</p> <p>(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत ¹[अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपयों के अध्यक्षीन] विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो।</p>
	<p>(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय सा आदेश पारित किया था :</p>

	<p>परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के भाल का अधिकरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :</p> <p>परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।</p>
<p>धारा 112 (1), (3), (6) एवं (8)</p>	<p>(1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा।</p>
	<p>(3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केन्द्रीय कर आयुक्त की प्रार्थना पर परीक्षण के लिए मांग सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है. से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।</p> <p>(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।</p> <p>(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दें,—</p> <p>(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और</p> <p>(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की, शेष रकम के 20% के बराबर राशि।¹[उक्त आदेश से उद्भूत अधिकतम पचास करोड़ रुपये के अध्यधीन।]</p>
<p>धारा 122 (1)(ख)</p>	<p>“कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो,—</p> <p>(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;</p>

	<p>(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अन्तर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या</p> <p>(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि, दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।”</p>
धारा 127	<p>जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।</p>

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 536/XC-S-1-24-44S-2024
Dated Lucknow, December 30, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal aur Seva Kar (Dviteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2024 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 17, 2024.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2024

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Fifth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2024. Short title and commencement

(2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act .

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 9, in sub-section (1), *after* the words “alcoholic liquor for human consumption”, the words “and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption” shall be *inserted*. Amendment of section 9

Amendment of section 10	<p>3. In section 10 of the Principal Act, in sub-section (5), <i>after</i> the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be <i>inserted</i>.</p>
Insertion of new section 11A	<p>4. <i>After</i> section 11 of the Principal Act, the following section shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice</p> <p>“11A. Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that—</p> <p>(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and</p> <p>(b) such supplies were, or are, liable to,—</p> <p>(i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or</p> <p>(ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,</p> <p>the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official <i>Gazette</i>, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.”</p>
Amendment of section 13	<p>5. In section 13 of the Principal Act, in sub-section (3),—</p> <p>(i) in clause (b), <i>for</i> the words “by the supplier:”, the words “by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or” shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) <i>after</i> clause (b), the following clause shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>“(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient.”;</p> <p>(iii) in the first proviso, <i>after</i> the words, brackets and letter “or clause (b)”, the words, brackets and letter “or clause (c)” shall be <i>inserted</i>.</p>
Amendment of section 16	<p>6. In section 16 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, <i>after</i> sub-section (4), the following sub-sections shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>“(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.</p> <p>(6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,—</p>

(i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later.”.

7. In section 17 of the Principal Act, in sub-section (5), in clause (i), for the words and figures “sections 74, 129 and 130”, the words and figures “section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24” shall be *substituted*. Amendment of section 17

8. In section 21 of the Principal Act, after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*. Amendment of section 21

9. In section 30 of the Principal Act, in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:— Amendment of section 30

“Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”.

10. In section 31 of the Principal Act,— Amendment of section 31

(a) in sub-section (3), in clause (f), after the words and figure “of section 9 shall”, the words “, within the period as may be prescribed,” shall be *inserted*;

(b) after clause (g), the following Explanation shall be *inserted*, namely:—

‘*Explanation.*—For the purposes of clause (f), the expression “supplier who is not registered” shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.’.

11. In section 35 of the Principal Act, in sub-section (6), after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*. Amendment of section 35

12. In section 39 of the Principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 39

“(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.”.

13. In section 49 of the Principal Act, in sub-section (8), in clause (c), after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*. Amendment of section 49

14. In section 50 of the Principal Act, in sub-section (1), in the proviso, after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*. Amendment of section 50

15. In section 51 of the Principal Act, in sub-section (7), after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*. Amendment of section 51

16. In section 54 of the Principal Act,— Amendment of section 54

(a) in sub-section (3), the second proviso shall be *omitted*;

(b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

	“(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.”.
Amendment of section 61	17. In section 61 of the Principal Act, in sub-section (3), <i>after</i> the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be <i>inserted</i> .
Amendment of section 62	18. In section 62 of the Principal Act, in sub-section (1), <i>after</i> the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be <i>inserted</i> .
Amendment of section 63	19. In section 63 of the Principal Act, <i>after</i> the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be <i>inserted</i> .
Amendment of section 64	20. In section 64 of the Principal Act, in sub-section (2), <i>after</i> the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be <i>inserted</i> .
Amendment of section 65	21. In section 65 of the Principal Act, in sub-section (7), <i>after</i> the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be <i>inserted</i> .
Amendment of section 66	22. In section 66 of the Principal Act, in sub-section (6), <i>after</i> the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be <i>inserted</i> .
Amendment of section 70	23. In section 70 of the Principal Act, <i>after</i> sub-section (1), the following sub-section shall be <i>inserted</i> , namely:— “(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.”.
Amendment of section 73	24. In section 73 of the Principal Act,— (i) in the marginal heading, <i>after</i> the words “Determination of tax”, the words and figures “, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,” shall be <i>inserted</i> ; (ii) <i>after</i> sub-section (11), the following sub-section shall be <i>inserted</i> , namely:— “(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.”.
Amendment of section 74	25. In section 74 of the Principal Act,— (i) in the marginal heading, <i>after</i> the words “Determination of tax”, the words and figures “, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,” shall be <i>inserted</i> ; (ii) <i>after</i> sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be <i>inserted</i> , namely:— “(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.”; (iii) the Explanation 2 shall be <i>omitted</i> .

26. After section 74 of the Principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Insertion of new section 74A

Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward

“74A. (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,—

(i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1—For the purposes of this section,—

(i) the expression “all proceedings in respect of the said notice” shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2—For the purposes of this Act, the expression “suppression” shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

27. In section 75 of the Principal Act,—
- Amendment of
section 75
- (a) in sub-section (1), *after* the word and figures “section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (2) and (7) of section 74A” shall be *inserted*;
- (b) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
- “(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.”;
- (c) *for* sub-section (10), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—
- “(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.”;
- (d) in sub-section (11), *after* the word and figures “section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-section (7) of section 74A” shall be *inserted*;
- (e) in sub-section (12), *after* the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*;
- (f) in sub-section (13), *after* the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*.
28. In section 104 of the Principal Act, in sub-section (1), in the Explanation, *after* the word and figures “section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (2) and (7) of section 74A” shall be *inserted*. Amendment of
section 104
29. In section 107 of the Principal Act,—
- Amendment of
section 107
- (a) in sub-section (6), in clause (b), *for* the word “twenty-five”, the word “twenty” shall be *substituted*;
- (b) in sub-section (11), in the second proviso, *after* the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*.
30. In section 112 of the Principal Act,—
- Amendment of
section 112
- (a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), *after* the words “from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal”, the words “; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later.” shall be *inserted*;
- (b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), *after* the words “from the date on which the said order has been passed”, the words “; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later,” shall be *inserted*;
- (c) in sub-section (6), *after* the words, brackets and figure “after the expiry of the period referred to in sub-section (1)”, the words, brackets and figure “or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)” shall be *inserted*;
- (d) in sub-section (8), in clause (b),—
- (i) *for* the words “twenty per cent”, the words “ten per cent” shall be *substituted*;
- (ii) *for* the words “fifty crore rupees”, the words “twenty crore rupees” shall be *substituted*.

Amendment of section 122

31. In section 122 of the Principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), *for* the words “Any electronic commerce operator who”, the words and figures “Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52,” shall be *substituted*.

Amendment of section 127

32. In section 127 of the Principal Act, *after* the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be *inserted*.

Insertion of new section 128A

33. *After* section 128 of the Principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.

“128A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,—

(a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or

(b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or

(c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed, pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.”

34. In section 171 of the Principal Act,—

Amendment of
section 171

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be *inserted*, namely:—

‘Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation—For the purposes of this sub-section, “request for examination” shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.’;

(b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and *after* Explanation 1 as so renumbered, the Explanation shall be *inserted*, namely:—

Explanation 2—For the purposes of this section, the expression “Authority” shall include the “Appellate Tribunal”.’.

35. In Schedule III to the Principal Act, *after* paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be *inserted*, namely:—

Amendment of
Schedule III

“9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the Central Tax, State tax, Union territory tax and integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the Central Tax, State Tax, Union territory tax and integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.”.

36. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 6 of this Amendment Act been in force at all material times.

No refund of
tax paid or
input tax credit
reversed

Repeal and saving 37. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 22 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance (No. 2) Act, 2024 (Act no. 15 of 2024), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 16th August, 2024.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 22 of 2024) was promulgated by the Governor on December 10, 2024.

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH

Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.